न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सं0 2/2023

1. प्रेम कुमार छोकर पुत्र श्री गोविन्दराम निवासी रायपुर जिला रायपुर छतीसगढ जरिये मुख्त्यार पीर मोहम्मद पुत्र सद्दीक मोहम्मद उम्र 34 वर्ष निवासी किटाप तहसील भिनाय जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

राज सरकार जरिये थानाधिकारी, सराना जिला अजमेर। ..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गोवंशीय पशु (वद्य का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम,1995

(प्रथम सूचना संख्या 0110/2022)

उपस्थित :– 1. श्री नोरतमल सांखला अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक–15.03.2023

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुदर्गीनामा अन्तर्गत धारा 7 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पुलिस थाना सराना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 110/2022 में प्रार्थी की 13 दुधारू व गर्भवती गाये व 6 बच्छडे जप्त किए है जिन्हे शोकलिया तहसील सरवाड जिला अजमेर की गौशाला में रखा गया है। प्रार्थी की उक्त गाये खरीदशुद्वा जिसका ग्राम पंचायत कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 01.01.2023 व ग्राम पंचायत बडगांव व ग्राम पंचायत बाघसुरी 21.11.2022, ग्राम पंचायत लवेरा 16.11.2022, ग्राम पंचायत कुम्हारिया 12.11.2022 का प्रमाण पत्र प्रार्थी सुपुर्दगीदार के नाम खरीद बाबत जारी है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार के डेयरी फार्म माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है प्रार्थी दुग्ध व्यवसाय हेतु गायो को खरीद करना व बैचान करना का कार्य करता है। प्रार्थी ने 13 गाय गिर नसल की दुधारू मय बच्छडे 4 को बैचान किया । प्रार्थी के डेयरी व्यवसाय है जिसके आय का रिटर्न प्रार्थी द्वारा लगातार रूप से भरी जा रही है। प्रार्थी दुधारू गायो को खरीदता व बैचने का व्यवसाय करता है । प्रार्थी ने दिनांक 20.11.2022 को प्रेम कुमार छोकर को उक्त गाये व बच्छडे बैचान किया जिसका बिल व कीमत प्रार्थी ने जारी किया । दिनांक 21.12.2022 को पुलिस थाना सराना द्वारा एफआईआर नं0 110/2022 अन्तर्गत धारा 5,6,8,11 पशु कूरता निवारण अधिनियम व राजस्थान गौवंशीय पशु नियम 1965 के तहत उक्त वाहन संख्या आरजे 32 जीबी 8561 में उक्त गाये व बच्छडे को जप्त कर लिया तथा उक्त गाय व बच्छडे अभय गुरू जैन गौशाला शोकलिया में पहुंचा दिया तथा वाहन को थाने मे जप्त कर लिया । प्रार्थी ने उक्त गायो और बच्छडो को लेने हेतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड के समक्ष जिला कलक्टर अजमेर के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको दिनांक 21.12.2022 को न्यायालय द्वारा खारिज फरमाया गया तथा प्रार्थी को उक्त 13 गाये व 4 बच्छडे सुपर्दगीनामा पर नही दिये गये। उक्त गायें दुधारू नस्ल की गिर गाय थी तथा उनके साथ बच्छडे भी थे तथा उसमें से कुछ गाये गर्भवती थी जो पशु पालन व दुग्ध व्यवसाय के उदेश्य से ले जायी जा रही थी, जिनका सही रूप से समुचित तरीके से व सुरक्षित तरीके से

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

परिवहन किया जा रहा था, किन्तु पुलिस थाना सराना द्वारा प्रार्थी को परेशान करने की नियत से उक्त प्रकरण एफआईआर नं0 110/2022 दर्ज कर उक्त प्रकरण में गायो को व वाहन को जप्ती बता दिया तथा उक्त पुलिस थाने से 40 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रार्थी का डेयरी फार्म है जहा प्रार्थी स्थाई रूप से निवास कर व्यवसाय करता है जहा गायो की अच्छी तरीके से सारसम्भाल होती है उसको सुपुर्द कर दिया गया जबकि उक्त गौशाला में लम्पी रोग से ग्रसित गाये मौजूद थी जिसके सम्पर्क में आने से 1 गाय व 2 बच्छडो की मौत हो गयी जिससे प्रार्थी की उक्त गायो व बच्छडो को नुकसान पहुंचने का पूरा पूरा खतरा बना हुआ है । सभी गाये दुधारू एवं गर्भवती है, जो किसी भी प्रकार से कटने के काम नहीं आती है। अधिक समय इन गायों एवं बछडियों के गौशाला में रहने से इनके बीमार पडने की संभावना है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक शर्त की पालना करने एवं जमानत मुचलके पेश करने को तैयार एवं तत्तपर है। अतः प्रार्थी के गौवंश गायों एवं बच्छडें को सुपुर्दगी नामें पर छोडे जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी सराना जिला अजमेर से पैरावाइज टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी मय प्राप्त होने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

उपस्थित अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रार्थी के गौवशं गाय एवं बच्छडे कुल 19 नग पुलिस थाना सराना जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 110/2022 अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5, 6, 8, 9 गौवशं अधिनियम व 11(1)(डी) के अन्तर्गत जब्त किया गया है। पुलिस थाना सराणा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 110/2022 में प्रार्थी की 13 दुधारू व गर्भवती गाये व 6 बच्छडे जप्त किए है जिन्हे शोकलिया तहसील सरवाड जिला अजमेर की गौशाला में रखा गया है। प्रार्थी की उक्त गाये खरीदशुद्वा जिसका ग्राम पंचायत कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 01.01.2023 व ग्राम पंचायत बडगांव व ग्राम पंचायत बाघसुरी 21.11.2022, ग्राम पंचायत लवेरा 16.11.2022, ग्राम पंचायत कुम्हारिया 12.11.2022 का प्रमाण पत्र प्रार्थी सुपुर्दगीदार के नाम खरीद बाबत जारी है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार के डेयरी फार्म माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है प्रार्थी दुग्ध व्यवसाय हेतु गायो को खरीद करना व बैचान करना का कार्य करता है। प्रार्थी ने 13 गाय गिर नसल की दुधारू मय बच्छडे 4 को बैचान किया । प्रार्थी के डेयरी व्यवसाय है जिसके आय का रिटर्न प्रार्थी द्वारा लगातार रूप से भरी जा रही है। प्रार्थी दुधारू गायो को खरीदता व बैचने का व्यवसाय करता है । प्रार्थी ने दिनांक 20.11.2022 को प्रेम कुमार छोकर को उक्त गाये व बच्छडे बैचान किया जिसका बिल व कीमत प्रार्थी ने जारी किया । दिनांक 21.12.2022 को पुलिस थाना सराना द्वारा एफआईआर नं0 110/2022 अन्तर्गत धारा 5,6,8,11 पशु कूरता निवारण अधिनियम व राजस्थान गौवंशीय पशु नियम 1965 के तहत उक्त वाहन संख्या आरजे 32 जीबी 8561 में उक्त गाये व बच्छडे को जप्त कर लिया तथा उक्त गाय व बच्छडे अभय गुरू जैन गौशाला शोकलिया में पहुंचा दिया तथा वाहन को थाने मे जप्त कर लिया । प्रार्थी ने उक्त गायो और बच्छडो को लेने हेतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड के समक्ष जिला कलक्टर अजमेर के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको दिनांक 21.12.2022 को न्यायालय द्वारा खारिज फरमाया गया तथा प्रार्थी को उक्त 13

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

गाये व 4 बच्छडे सुपर्दगीनामा पर नही दिये गये। उक्त गायें दुधारू नस्ल की गिर गाय थी तथा उनके साथ बच्छडे भी थे तथ उसमें से कुछ गाये गर्भवती थी जो पशु पालन व दुग्ध व्यवसाय के उदेश्य से ले जायी जा रही थी, जिनका सही रूप से समुचित तरीके से व सुरक्षित तरीके से परिवहन किया जा रहा था, किन्तु पुलिस थाना सराना द्वारा प्रार्थी को परेशान करने की नियत से उक्त प्रकरण एफआईआर नं0 110/2022 दर्ज कर उक्त प्रकरण में गायो को व वाहन को जप्ती बता दिया तथा उक्त पुलिस थाने से 40 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रार्थी का डेयरी फार्म है जहा प्रार्थी स्थाई रूप से निवास कर व्यवसाय करता है जहा गायो की अच्छी तरीके से सारसम्भाल होती है उसको सुपुर्द कर दिया गया जबकि उक्त गौशाला में लम्पी रोग से ग्रसित गाये मौजूद थी जिसके सम्पर्क में आने से 1 गाय व 2 बच्छडो की मौत हो गयी जिससे प्रार्थी की उक्त गायो व बच्छडो को नुकसान पहुंचने का पूरा पूरा खतरा बना हुआ है । सभी गाये दुधारू एवं गर्भवती है, जो किसी भी प्रकार से कटने के काम नहीं आती है। अधिक समय इन गायों एवं बछडियों के गौशाला में रहने से इनके बीमार पडने की संभावना है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक शर्त की पालना करने एवं जमानत मुचलके पेश करने को तैयार एवं तत्तपर है। अतः प्रार्थी के गौवंश गायों एवं बच्छडें को सुपुर्दगी नामें पर छोडे जाने के आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार का कथन है कि जरिये गश्त इत्तला मिली की ग्राम सराना में कुछ लोगो ने एक ट्रक गौवंश से भरा हुआ रूकवा रखा है । ग्राम सराना में पहुॅचने पर एक ट्रक आरजे 32 जीबी 8561 को गांव के लोगो द्वारा रूकवाया हुआ था जिसके पीछे से डाला को खोलकर देखा तो खचा खच ट्रक मं गोवंश भरा हुआ था जिनको चेक कि तो ट्रक में 13 गाय व 4 नवजात बच्चे जिसमें दो मेल व दो फिमेल जो ट्रक में अवैध गौवंश ठूस–ठूस कर भरे हुये मिले। यह गोवंश गाय व बछडे पालने की बजाय इन गौवंश को कत्लखाने मे ले जाने के मकसत से ठूस ठूस कर भरे हुये है। जो गौवंश तस्करी हेतु परिवहन करना पाया गया है। अवैध गौ वंश को जप्त कर बाद अभय गुरू जैन गौशाला शोकलिया में देखभाल हेतु सुपुर्द किया गया था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 5, 6, 8 ,9 गोवंश अधिनियम 1995 व 11 (1)(डी) पशु कुरता अधिनियम का प्रमाणित पाया जाने पर प्रकरण में बाद अनुसंधान नतीजा चालानी आदेश प्राप्त किया जाकर चार्जशीट संख्या 112/2022 धारा 5,6,8,9 गौवंश अधिनियम व 11 (1)(डी) पशु कुरता अधिनियम दिनांक 30.11.2022 में कता किया गया । पुलिस अनुसंधान में अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 2 के (छ) में सक्षम अधिकारी से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है। धारा 7 अभिग्रहित गौवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा के तहत् अभिग्रहित गौवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है जिसमें निम्नांकित में से किसी को सुपुर्द किया जा सकता है :–

1– गौवंशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन या एजेन्सी
2– राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उप बन्धों के अधीन शासित गौशाला
3– ऐसा कोई गौ–सदन अथवा
4– इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गौ–सदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

चूंकि अधिनियम की धारा 7 के तहत् जिन संस्था को गौवंश सौंपा जाने के प्रावधान किये गये है उनमें प्रार्थी जो कि न तो उक्त गौवंश के मालिक स्पष्ट है और ना ही वो गौशाला गो–सदन आदि के संचालक है। उक्त जप्त गौवंश को बिना टी.पी. व परमिट के ट्रक गाडियों में कूरता पूर्वक बिना चारा पानी की व्यवस्था के ठसाठस भर कर ले जाने दौरान पुलिस थाना सराना द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त प्रावधानों के तहत् उपयुक्त व्यक्ति भी प्रतीत नहीं होता हैं। इनको गौवंश सौंपने पर इनके खुर्द बुर्द होने अथवा वध किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

हमने कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का मय थानाधिकारी थाना सराना की टिप्पणी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध धारा 5, 6, 8, 9 गोवंश अधिनियम 1995 व 11 (1)(डी) पशु कुरता राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत अपराध प्रमाणित माना गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, सराना से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक ट्रक आर.जे. 32 जीबी 8561 में 13 गौवंश व 4 गौवंश बछडे/बछडी उनके द्वारा जप्त की गईं। प्रार्थी ने उक्त दुधारू मय बछडे को बेचान किया गया । प्रार्थी के डेयरी व्यवसाय है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सरपच ग्राम पंचायत कुम्हारिया पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर के द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें जिसमें प्रार्थी दूध व्यवसाय का कार्य करता व डेयरी फार्म होना व शौकलिया अभय गौशाला में गौवंश जप्त कर दिए जिन्हे वापस सम्भलाने हेतु जारी किया गया है, साथ ही प्रार्थी के द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र छत्तीसगढ सरकार का छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। जब्तशुदा गौवशं की देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला, में अस्थाई सुपुर्दगी पर छोडा गया है। प्रार्थी का कहना है कि वहॉ चारे का अभाव है, तथा प्रार्थी द्वारा गौवंश की सही देखभाल करने में सक्षम बतातें हुए न्यायालय की शर्तो पर सुपुर्दगीनामें पर लेने हेतु निवेदन किया गया है। चूकिं प्रार्थी व अन्य मुल्जिमान के विरूद्ध धारा 3, 5, 6, 8, 9 गोवंश अधिनियम 1995 11(1)(डी) पशु कुरता राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें विवेचन उपरान्त निर्णय होना है। उक्त निर्णय के अधीन प्रार्थी को उपरोक्त गौवंशीय गाये एवं बछडे/बछडी अन्तरिम अभिरक्षा के लिये सुपुर्दगी में सुपुर्द किया जाना न्यायहित में हम उचित समझते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुलिस थाना सराना द्वारा जब्त उक्त गौवंश (13 गाये एवं चार बछडे) प्रार्थी द्वारा 1 गाय व 2 बच्छडो की मृत्यु होना अंकित किया गया है । अतः 12 गाये एवं 2 बछडे को प्रार्थी द्वारा रूपये 50,000/– की जमानत एवं इसी राशि के मुचलके प्रस्तुति पर प्रार्थी को अन्तरिम अभिरक्षा के लिये सुपुर्दगी में सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर